



—2286711

2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

website—www.sudaup.org

एन०एस०डी०सी० पार्टनर संस्थाओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्य में प्रगति लाने हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ०प्र० और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन०एस०डी०सी०) के मध्य दिनांक 24.09.2015 को सूडा, उ०प्र० में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रदेश के एन०एस०डी०सी० पार्टनर संस्थाओं द्वारा एन०य०एल०एम० के घटक ई०एस०टी०एण्ड पी० के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्य में प्रगति लाने एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ होने आ रही समस्याओं के निवारण हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ०प्र० एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अधिकारियों के मध्य दिनांक 24.09.2015 को सूडा, उ०प्र० में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ०प्र० एवं एन०एस०डी०सी० के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा, प्रतिभाग किया गया:—

- | | |
|---|---|
| 1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
मिशन निदेशक
राज्य शहरी आजीविका मिशन
उ०प्र०। | 2. श्री जयकान्त सिंह
हेड—पार्टनरशिप एण्ड
स्टेट एलायन्स
एन०एस०डी०सी०। |
| 3. श्री आई० पी० कनौजिया
परियोजना निदेशक
सूडा, उ०प्र०। | 4. डा० कमल कुमार सिंह
परामर्शी
सूडा, उ०प्र०। |

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ०प्र० और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन०एस०डी०सी०) के मध्य निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई और आपसी सहमति जतायी गयी:—

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ई०एस०टी०एण्ड पी० के अन्तर्गत एन०एस०डी०सी० पार्टनर संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्य के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु एन०एस०डी०सी० द्वारा एक राज्य स्तरीय समन्वयक नियुक्त किया जायेगा। जिसके द्वारा राज्य स्तर एवं शहर स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यों हेतु समन्वयन किया जायेगा।
- MES कोसौं की भाँति NOS कोसौं की घण्टों में अवधि एवं लागत श्रेणी का विवरण एन०एस०डी०सी० द्वारा तैयार कर राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ०प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके आधार पर लागत श्रेणी के अनुसार प्रति घण्टे के हिसाब से एन०एस०डी०सी० को प्रशिक्षण लागत का भुगतान किया जायेगा।
- एन०एस०डी०सी० द्वारा शहरों में किये जा रहे हैं कौशल प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रथम 30% की किश्त शहर स्तर की जगह राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ०प्र० के द्वारा शासन से अनुमति प्रदान होने की दशा में भुगतान किया जायेगा। अवशेष किश्तों का दिनांक 17.06.2015 के जारी निर्देशों के अनुसार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा ही एन०एस०डी०सी० को भुगतान किया जायेगा।
- उक्त बिन्दु की सहमति के आधार पर शहरों हेतु अलग से निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ बैठक समाप्त की गई।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ०प्र०

पत्रांक २६८७A/२५।/NULM/ट्रैक/२०१५(एम.एल.डी.०८०)

दिनांक २५.७.२०१५

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, सूडा उ०प्र०।
4. श्री जयकान्त सिंह, हेड-पार्टपरशिप एण्ड स्टेट एलासनश, एन०एस०डी०सी०, नई दिल्ली।
5. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक